



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270879  
CG-DL-E-12032026-270879

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1235]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 1235]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

**का.आ. 1292(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 50(E) तारीख 05/01/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के नवसारी जिले में NH64 के कि.मी. 363 से कि.मी.363.6 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) "टाइम्स ऑफ़ इण्डिया" तारीख 26/02/2026 और "दिव्य भास्कर" तारीख 25/02/2026 के अधीन तारीख दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग तारीख 28/01/2026 के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के नवसारी जिले में NH64 के कि.मी. 363 से कि.मी.363.6 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: नवसारी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नवसारी					
गांव का नाम: कस्बापार					
1	482/3	निजी (प्राइवेट)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0085	श्री विमलेश कुमार बाबूलाल शर्मा 482/3
2	482/4	निजी (प्राइवेट)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0062	श्री विमलेश कुमार बाबूलाल शर्मा 482/4
3	482/5	निजी (प्राइवेट)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0021	श्री विमलेश कुमार बाबूलाल शर्मा 482/5
4	550/2	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0025	नीलमकुमार बलवंतराय नायक 550/2
5	551	निजी	एग्रीकल्चर	0.0021	जमनाबेन रवजीभाई हॉसजीभाई पटेल की बेटी कांताबेन रवजीभाई हॉसजीभाई पटेल की बेटी भीखुभाई छनाभाई पटेल रमेशभाई छनाभाई पटेल सुनीलभाई बाबुभाई पटेल गिरीशभाई बाबुभाई पटेल 551
<b>Total</b>				<b>0.0214</b>	

[फा. सं. 64/GJ/2024-25/773/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th March, 2026

**S.O. 1292(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **50(E) Dated:05/01/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH64 in the stretch of land from Km. 363 to Km. 363.6 in the district of NAVSARI in the state of GUJARAT;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Times of India" on dated 26/02/2026 and in "Divy Bhaskar" on dated 25/02/2026 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C on dated 28/01/2026, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH64 in the stretch of land from Km. 363 to Km. 363.6 in the district of NAVSARI in the state of GUJARAT.**

State: GUJARAT			District: NAVSARI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Navsari</b>					
<b>Village: Kasbapar</b>					
1	482/3	Private	Non Agriculture	0.0085	Shri. Bimlesh Kumar Babulal Sharma 482/3
2	482/4	Private	Non Agriculture	0.0062	Shri. Bimlesh Kumar Babulal Sharma 482/4
3	482/5	Private	Non Agriculture	0.0021	Shri. Bimlesh Kumar Babulal Sharma 482/5
4	550/2	Private	Agriculture	0.0025	Neelamkumar Balwantray Nayak 550/2
5	551	Private	Agriculture	0.0021	Jamnaben Ravjibhai Hansjibhai Patels daughter Kantaben Ravjibhai Hansjibhai Patels daughter Bhikubhai Chhanubhai Patel Rameshbhai Chhanabhai Patel Sunilbhai Babubhai Patel Girishbhai Babubhai Patel 551
<b>Total</b>				<b>0.0214</b>	

[F. No. 64/GJ/2024-25/773/3D]  
SHAIKH AMINKHAN, Director